संख्या – 1024 / F / XVIII-(2)/2013-16(5)/2013

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल।

3– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास अनुभाग, देहरादून : दिनांक 11 अक्टूबर, 2013

विषय :– **प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त आवासीय और लोक भवनों के पुनर्निर्माण हेतु नीति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत प्रभावित परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा आपदा प्रभावित जनमानस के आवासों के पुनर्निमाण की तात्कालिक आवश्यकता के कियान्वयन के लिए एक नीति की आवश्यकता है।

चूंकि आपदा से सर्वाधिक प्रभावित पांच जिलों में से उत्तरकाशी को छोड़ कर अन्य सभी का अधिकांश भाग भूकम्पीय स्तर की दृष्टि से जोन V में अवस्थित है। अतः पुर्नसंरचना भूकम्प और अन्य आपदाओं के प्रतिरोध एवं जनहानि को रोकने / कम करने के दृष्टिगत् किया जाना होगा। अतः इस नीति का उद्देश्य प्रभावित जनता की आपदा संवेदनशीलता को न्यून करना तथा उन्हें आत्मसम्मान के साथ रहने के लिए मूलभूत सुविधा सहित यथाशीघ्र आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। उक्त नीति निम्नवत् है:–

1– अर्ह लाभार्थी–

नीति से उत्तराखण्ड में पांच जिलों अर्थात उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ में अधिवास कर रहे सभी ऐसे आवास धारक आच्छादित होंगे जिनके आवास पूरी तरह नष्ट हो गये है। जून, 2013 की आपदा में अनेकों आवास पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गये थे अथवा मरम्मत करने योग्य नही रहे थे। कई ऐसे भी भवन थे जो कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे और वर्तमान में जिनका पुनर्निर्माण किया जाना होगा। कई स्थानों पर एकल आवास, कलस्टर और यहां तक की सम्पूर्ण छोटी बस्ती बह गयी थी तथा भूमि अस्थिर और असुरक्षित हो गयी थी। इन कलस्टरों व

बस्तियों का वर्तमान में पुनर्स्थापन किया जाना है। इस नीति के अनुसार ऐसी क्षतिग्रस्त ईकाइयों के पुनर्निमाण में सहयोग दिया जाएगा।

2– लाभार्थी चिन्हींकरण–

संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, लाभार्थियों की सूची तैयार कर इस सूची को लोक सन्ननिरीक्षा और सत्यापन की प्रकिया के लिये प्रस्तुत करेंगे। पुनर्निर्माण के लिये वह आवास होंगे जो कि जून, 2013 की आपदा एवं उसके प्रकोप से नष्ट होने के कारण पुननिर्मित किये जाने है।

भूकम्प जोन और अन्य आपदाओं के अनुसरण में सरकारी निर्देशों/नियमों के अधीन मरम्मत की संभाव्यता को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के विभागों के अर्हित अभियन्ताओं के एक दल द्वारा सभी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवनों का परीक्षण किया जायेगा। वह अपेक्षित मरम्मत की सीमा का आंकलन करेंगे। इस आंकलन के आधार पर यह निश्चित किया जायेगा कि इन्हें पूर्णतः अथवा आंशिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। आवास जिनकी मरम्मत की जा सकती है, वह पृथक से अवस्थित पुनर्वास के लिये निर्धारित नियमों के अधीन वित्त पोषण हेतु आच्छादित होंगे।

इस परियोजना के अधीन आच्छादित सभी चयनित लाभार्थी राज्य सरकार के साथ जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से नीति की शर्तों और निबंधनों से सहमत होने संबंधी एक समझौता पत्र का निष्पादन करेगें।

3– आवासीय श्रेणी–

प्रभावित आवास धारकों को निम्नलिखित तीन वर्गो में वर्गीकृत किया जा रहा हैः–

क– वर्ग एक – आवास धारक की भूमि पर निर्मित आवास जिस भूमि पर उनका मालिकाना हक है और वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्माण के लिए सुरक्षित सत्यापित है। लाभार्थियों को यह विकल्प होगा कि वह अपना आवास स्वयं निर्मित करें (परम्परागत आवास) या सरकार द्वारा निर्मित किये जाने वाले प्रीफेब्रीकेटेड आवास चुनें।

ख– वर्ग दो– ऐसे आवास धारक जिनके आवास और भूमि आपदा के फलस्वरूप दोंनो नष्ट हो गये है, के लिए कलस्टर आवासों का निर्माण तथा जिसके लिये उसी ग्राम क्षेत्र के भीतर भूमि उपलब्ध है।

ग– वर्ग तीन– आपदा के फलस्वरूप आवास और भूमि नष्ट हुए आवास धारकों के लिए नये क्षेत्र पर अवस्थित कलस्टर आवासों का निर्माण। इस वर्ग के निर्माण के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध व विकसित करायी जायेगी और मूलभूत सुविधाओं एवं सेवाओं यथा–स्कूल भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र,